अध्याय 3

## प्रत्यक्ष कर

### आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

**3.** आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (15) के दूसरे परंतुक में, "दस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2012 से रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

**4.** आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) खंड (34) के स्पष्टीकरण का [जैसा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है] 1 जून, 2011 से लोप किया जाएगा ; 2005 का 28

(ख) खंड (44) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(45) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सेवानिवृत्त अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य को संदत्त ऐसा कोई भत्ता या परिलब्धि, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए।";

(ग) इस प्रकार यथा अंतःस्थापित खंड (45) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2011 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(46) ऐसे किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) को, जो—

(क) जनसाधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप का विनियमन या प्रशासन करने के उद्देश्य से किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किया गया है या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है ;

(ख) किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा है ; और

(ग) इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है,

प्रोद्भूत होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय ।

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट आय" से, इस खंड में निर्दिष्ट किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) को ऐसी प्रकृति की और उस सीमा तक प्रोद्भूत होने वाली आय अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(47) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, स्थापित किसी अवसंरचना ऋण निधि की कोई आय ।'।

धारा 35 का संशोधन ।

**5.** आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कक) के खंड (क) में, "एक सही तीन बटा चार" शब्दों के स्थान पर, "दुगुना" शब्द 1 अप्रैल, 2012 से रखा जाएगा ।

धारा 35कघ का संशोधन ।

**6.** आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में,—

(क) उपधारा (5) में, 1 अप्रैल, 2012 से,—

(i) खंड (कग) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (कग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कघ) 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा, ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास की परियोजना के विकास और निर्माण की प्रकृति में है ;

(कङ) 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात्, उर्वरक के उत्पादन के लिए किसी नए संयंत्र में या किसी विद्यमान संयंत्र में नई प्रतिष्ठापित क्षमता में ; और";

(iii) खंड (ख) में, "और खंड (कग)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (कग), खंड (कघ) और खंड (कङ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (8) के खंड (ग) में,—

(i) उपखंड (iv) में, "नए होटल" शब्दों के स्थान पर, "होटल" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपखंड (v) में, "नए अस्पताल" शब्दों के स्थान पर, "अस्पताल" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपखंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(vii) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास की परियोजना का विकास और निर्माण ;

(viii) भारत में उर्वरक का उत्पादन ;"।

धारा 36 का संशोधन ।

**7.** आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ivक) निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में किसी कर्मचारी के खाते में धारा 80गगघ में यथानिर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम मद्दे अभिदाय के रूप में संदत्त कोई रकम उस सीमा तक जहां तक वह पूर्ववर्ष में कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" के अंतर्गत यदि नियोजन के निबंधन इस प्रकार उपबंध करते हैं, मंहगाई भत्ता भी है, किन्तु इसके अंतर्गत सभी अन्य भत्ते और परिलब्धियां नहीं हैं ;'।

धारा 80गगङ का संशोधन ।

**8.** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगङ में, "धारा 80गगघ" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "धारा 80गगघ की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2012 से रखे जांएगे ।

धारा 80गगच का संशोधन ।

**9.** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगच में, "1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष" अंकों और शब्दों के पश्चात्, "अथवा 1 अप्रैल, 2012 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष" शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 80झक का संशोधन ।

**10.** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में, "31 मार्च, 2011" अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2012 से रखे जांएगे ।

धारा 80झख का संशोधन ।

**11.** आय-कर अधिनियम की धारा 80झख की उपधारा (9) के खंड (ii) में निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस खंड के उपबंध भारत सरकार द्वारा संकल्प सं0 ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.-वीएल, तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में घोषित नई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नीति के अधीन 31 मार्च, 2011 के पश्चात् दी गई संविदा के अधीन अनुज्ञप्त समूहों को लागू नहीं होंगे ;"।

धारा 92ग का संशोधन ।

**12.** आय-कर अधिनियम की धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, "बाद वाली कीमत के पांच प्रतिशत से" शब्दों के स्थान पर, "बाद वाली कीमत के ऐसे प्रतिशत से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, इस निमित्त अधिसूचित किया जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2012 से रखे जाएंगे ।

धारा 92गक का संशोधन ।

**13.** आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में, 1 जून, 2011 से,—

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार [उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से भिन्न] अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है ।";

(ii) उपधारा (7) में, "धारा 133" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 133क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 94क का अंतःस्थापन ।

**14.** आय-कर अधिनियम की धारा 94 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों से संव्यवहार के संबंध में विशेष उपाय ।

'94क. (1) केंद्रीय सरकार, भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के साथ सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के अभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे देश या राज्यक्षेत्र को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी संव्यवहार के संबंध में, अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि कोई निर्धारिती ऐसा कोई संव्यवहार करता है, जिसमें संव्यवहार के पक्षकारों में से एक अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति है, तो,—

(i) संव्यवहार के सभी पक्षकार धारा 92क के अर्थ के भीतर सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे ;

(ii) मूर्त या अमूर्त संपत्ति के क्रय, विक्रय या पट्टे की प्रकृति का या सेवा का उपबंध या उधार देने या धन उधार लेने का कोई संव्यवहार या निर्धारिती के लाभों, आय, हानियों या आस्तियों से संबंध रखने वाला कोई अन्य संव्यवहार, जिसके अंतर्गत निर्धारिती द्वारा या उसे प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले किसी फायदे, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत किए जाने वाले किसी खर्च या व्यय के आबंटन या प्रभाजन के या उसके किसी अभिदाय के लिए पारस्परिक करार या ठहराव भी है, धारा 92ख के अर्थ के भीतर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा,

और धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग [उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के सिवाय], धारा 92गक, धारा 92गख, धारा 92घ, धारा 92ङ और धारा 92च के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(क) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी संदाय के संबंध में कोई कटौती इस अधिनियम के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारिती, ऐसे निर्धारिती की ओर से उक्त वित्तीय संस्था से सुसंगत सूचना की ईप्सा करने के लिए बोर्ड या अपनी ओर से कार्यरत किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी को प्राधिकृत करने संबंधी प्राधिकार विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं करता है ; और

(ख) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार से उद्भूत होने वाले किसी अन्य व्यय या मोक के संबंध में (जिसके अंतर्गत अवक्षयण भी है), कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती इस निमित्त ऐसे अन्य दस्तावेज न रखता हो और ऐसी सूचना, जो विहित की जाए, प्रस्तुत न करता हो ।

(4) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां, किसी पूर्ववर्ष में, निर्धारिती की किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त या जमा होती है और निर्धारिती उस व्यक्ति के

हाथों में या फायदाग्राही स्वामी के हाथों में (यदि ऐसा व्यक्ति उक्त राशि का फायदाग्राही स्वामी नहीं है) उक्त राशि के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहां ऐसी राशि, उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय समझी जाएगी ।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति ऐसी कोई राशि या आय या रकम प्राप्त करने का हकदार है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर कटौती योग्य है, वहां कर की कटौती निम्नलिखित दरों में से उच्चतम दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रवृत्त दर या दरों पर ;

(ख) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट दर पर ;

(ग) तीस प्रतिशत की दर पर ।

(6) इस धारा में,—

(i) "किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र का निवासी है ;

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि नहीं है, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थापित है ;

(ग) अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में, उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अंतर्गत न आने वाले किसी व्यक्ति का स्थायी स्थापन ;

(ii) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा, जो धारा 92च के खंड (iiiक) में परिभाषित है ;

(iii) "संव्यवहार" का वही अर्थ होगा, जो धारा 92च के खंड (v) में परिभाषित है ।'।

धारा 115क का संशोधन ।

**15.** आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) में, 1 जून, 2011 से,—

(क) उपखंड (ii) में "से प्राप्त ब्याज" शब्दों के पश्चात्, "जो खंड (iiक) में निर्दिष्ट प्रकृति का ब्याज नहीं है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज ; या";

(ग) मद (आ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(आअ) कुल आय में सम्मिलित उपखंड (iiक) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की रकम पर, यदि कोई हो, पांच प्रतिशत की दर पर परिकलित आय-कर की रकम ;";

(घ) मद (ई) में, "उपखंड (ii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, ",उपखंड (iiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 115खखघ का अंतःस्थापन ।

**16.** आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर ।

"115खखघ. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो कोई भारतीय कंपनी है, 1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय में किसी समनुषंगी विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा—

(क) ऐसे लाभांशों के रूप में आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ख) आय-कर की वह रकम, जिसके लिए निर्धारिती तब प्रभार्य हुआ होता, यदि उसकी कुल आय में से लाभांशों के रूप में पूर्वोक्त आय घटा दी जाती ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती को उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में उसकी आय की संगणना करने में किसी व्यय या भत्ते की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) इस धारा में,—

(i) "लाभांश" का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (22) में "लाभांश" का दिया गया है, किन्तु इसमें उसका उपखंड (ङ) सम्मिलित नहीं होगा ;

(ii) "समनुषंगी विदेशी कंपनी" से ऐसी विदेशी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में आधे से अधिक भारतीय कंपनी धारित करती है ।"।

धारा 115ञख का संशोधन ।

**17.** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख में, 1 अप्रैल, 2012 से,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "1 अप्रैल, 2011" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2012" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "साढ़े अठारह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (6) [जैसी वह विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा अंतःस्थापित की गई है] में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2005 का 28

"परंतु इस उपधारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत प्रभावी नहीं रहेंगे ।"।

नए अध्याय 12खक का अंतःस्थापन ।

**18.** आय-कर अधिनियम के अध्याय 12ख के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 अप्रैल, 2012 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**'अध्याय 12खक**

## कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों के संबंध में विशेष उपबंध

कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध ।

115ञग. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, ऐसे पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां ऐसी समायोजित कुल आय को उस पूर्ववर्ष के लिए सीमित दायित्व भागीदारी की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समायोजित कुल आय, इस अध्याय को प्रभावी करने से पूर्व,—

(i) अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन "ग-कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन दावा की गई कटौतियों, यदि कोई हों ; और

(ii) धारा 10कक के अधीन, दावा की गई कटौतियों, यदि कोई हों,

से बढ़ाकर आई कुल आय होगी ।

(3) ऐसी प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, जिसको यह धारा लागू होती है, किसी लेखाकार से, यह प्रमाणित करते हुए कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगी और उस रिपोर्ट को धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करेगी ।

अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए कर प्रत्यय ।

115ञघ. (1) धारा 115ञग के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा संदत्त कर प्रत्यय, उसको इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात किया जाने वाला किसी निर्धारण वर्ष का कर प्रत्यय उस वर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर पर संदत्त अनुकल्पी न्यूनतम कर का आधिक्य होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कर प्रत्यय पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन अवधारित कर प्रत्यय की रकम को उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत और मुजरा किया जाएगा, किन्तु ऐसा अग्रनयन उस निर्धारण वर्ष के, जिसके लिए कर प्रत्यय उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती दसवें निर्धारण वर्ष से परे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(5) किसी ऐसे निर्धारण वर्ष में, जिसमें नियमित आय-कर, अनुकल्पी न्यूनतम कर से अधिक हो जाता है, कर प्रत्यय का अनुकल्पी न्यूनतम कर पर नियमित आय-कर के आधिक्य की सीमा तक मुजरा अनुज्ञात किया जाएगा और बकाया कर प्रत्यय, यदि कोई हो, अग्रनीत किया जाएगा ।

(6) यदि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप, किसी नियमित आय-कर या अनुकल्पी न्यूनतम कर की रकम घटाई या बढ़ाई जाती है, तो इस धारा के अधीन अनुज्ञात कर प्रत्यय की रकम को भी तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा ।

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना ।

115ञङ इस अध्याय में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध इस अध्याय में निर्दिष्ट किसी सीमित दायित्व भागीदारी को लागू होंगे ।

इस अध्याय का निर्वचन।

115ञच. इस अध्याय में,—

(क) "लेखाकार" का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में है ;

(ख) "अनुकल्पी न्यूनतम कर" से साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से समायोजित कुल आय पर संगणित कर की रकम अभिप्रेत है ;

2009 का 6

(ग) "सीमित दायित्व भागीदारी" का वही अर्थ होगा, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में है ;

(घ) "नियमित आय-कर" से किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस अध्याय के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय पर किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय आय-कर अभिप्रेत है ।'।

2005 का 28

**19.** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (6) [जैसा कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा अंतःस्थापित की गई है] में निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 115ण का संशोधन ।

"परंतु इस उपधारा के उपबंध 1 जून, 2011 से प्रभावी नहीं रहेंगे ।"।

**20.** आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में, 1 जून, 2011 से,— धारा 115द का संशोधन ।

(क) खंड (i) में, "वितरित आय" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वितरित आय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iक) किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को वितरित आय पर तीस प्रतिशत ;";

(ग) खंड (iii) में, "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

**21.** आय-कर अधिनियम की धारा 131 में, 1 जून, 2011 से,— धारा 131 का संशोधन।

(i) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, आय-कर सहायक आयुक्त से अनिम्न पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी के लिए, जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, यह सक्षम होगा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों को उस उपधारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का इस बात के होते हुए भी प्रयोग करे कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत कोई कार्यवाहियां उसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं हैं ।";

(ii) उपधारा (3) में, "या उपधारा (1क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

**22.** आय-कर अधिनियम की धारा 133 के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 133 का संशोधन ।

"परंतु यह भी कि धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के प्रयोजनों के लिए धारा 131 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित कोई आय-कर प्राधिकारी, इस धारा के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का इस बात के होते हुए भी प्रयोग कर सकेगा कि उसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं।"।

**23.** आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,— धारा 139 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में, —

(i) खंड (क) के उपखंड (i) में, "कोई कंपनी है" शब्दों के स्थान पर, "खंड (कक) में निर्दिष्ट किसी कंपनी से भिन्न कोई कंपनी है" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जो ऐसी कंपनी है, जो धारा 92ङ में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, निर्धारण वर्ष के नवंबर का तीसवां दिन ;";

(ख) उपधारा (1ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ग) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को ऐसी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, आय की विवरणी देने की अपेक्षा से छूट दे सकेगी ।";

(ग) उपधारा (4ग) में, 1 जून, 2011 से,—

(i) खंड (च) के पश्चात् और "यदि कुल आय" शब्दों से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(छ) धारा 10 के खंड (46) में निर्दिष्ट निकाय या प्राधिकारी या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे जो भी नाम हो);

(ज) धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि,";

(ii) "आयुर्विज्ञान संस्था या व्यवसाय संघ" शब्दों के पश्चात्, "या निकाय या प्राधिकारी या बोर्ड या न्यास या आयोग या अवसंरचना ऋण निधि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 143 का संशोधन ।

**24.** आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1ख) में, "31 मार्च, 2011" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 153 का संशोधन ।

**25.** आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में, 1 जून, 2011 से,—

(क) खंड (vii) में, "प्राप्त किया जाता है," शब्दों के स्थान पर "प्राप्त किया जाता है, या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको आयुक्त द्वारा अनुरोध की गई सूचना प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या छह मास की कोई अवधि, इनमें से जो भी कम हो,"।

धारा 153ख का संशोधन ।

**26.** आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, 1 जून, 2011 से,—

(क) खंड (vii) में, "आदेश प्राप्त होता है ।" शब्दों के स्थान पर, "आदेश प्राप्त होता है ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (vii) के पश्चात्, और "अपवर्जित की जाएगी :" शब्दों से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको आयुक्त द्वारा अनुरोध की गई सूचना प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या छह मास की अवधि, इनमें से जो भी कम हो,"।

नई धारा 194ठख का अंतःस्थापन ।

**27.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2011 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अवसंरचना ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय ।

"194ठख. जहां किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को, धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि द्वारा ब्याज के रूप में कोई आय संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या किसी चेक या ड्राफ्ट को जारी करके या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।"।

धारा 245ग का संशोधन ।

**28.** आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (1) में, 1 जून, 2011 से,—

(क) परंतुक में, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iक) उस दशा में, जहां,—

(अ) आवेदक खंड (i) में निर्दिष्ट उस व्यक्ति का नातेदार है, जिसने आवेदन फाइल किया है (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" कहा गया है) ; और

(आ) ऐसे आवेदक की दशा में, जो धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट व्यक्ति है, धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी वर्ष के लिए निर्धारण या पुनः निर्धारण की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं,

वहां आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक है ,';

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—खंड (iक) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) खंड (iक) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में आवेदक से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति कोई व्यष्टि है, वहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कोई नातेदार ;

(ii) जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, वहां कंपनी का कोई निदेशक, फर्म का भागीदार, या संगम या कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(iii) कोई ऐसा व्यष्टि, जिसका विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है या ऐसे व्यष्टि का कोई नातेदार ;

(iv) ऐसी कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है, या ऐसी कंपनी, फर्म, संगम का कोई निदेशक, भागीदार या कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(v) कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसके किसी निदेशक, यथास्थिति, भागीदार या सदस्य का विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में सारवान् हित है या ऐसी कंपनी, फर्म, संगम का कोई निदेशक, भागीदार या कुटुंब का सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का नातेदार ;

(vi) ऐसा कोई व्यक्ति, जो कोई कारबार या वृत्ति करता है,—

(अ) जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति का, जो व्यष्टि है या ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति के किसी नातेदार का, उस व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है ; या

(आ) जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति का, जो कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम या हिंदू अविभक्त कुटुंब या ऐसी कंपनी के किसी निदेशक, ऐसी फर्म के भागीदार या संगम अथवा कुटुंब के सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार का उस व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है ;

(ख) किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका किसी कारबार या वृत्ति में कोई सारवान् हित है, यदि,—

(अ) ऐसे मामले में, जहां कारबार या वृत्ति किसी कंपनी द्वारा की जाती है, वहां ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे शेयरों का हिताधिकारी स्वामी है (जो ऐसे शेयर नहीं हैं जो लाभांश की नियत दर के हकदार हों चाहे लाभों में हिस्सा बंटाने के अधिकार सहित या उसके बिना) जिनकी मतदान शक्ति बीस प्रतिशत से कम नहीं है ; और

(आ) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे कारबार या वृत्ति के लाभों के बीस प्रतिशत से अन्यून का फायदा लेने का हकदार है ।"।

धारा 245घ का संशोधन ।

**29.** आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6ख) समझौता आयोग, आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किसी समय, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई संशोधन, जिसका आवेदक के दायित्व को उपांतरित करने का प्रभाव है, इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक समझौता आयोग ने आवेदक और आयुक्त को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और आवेदक तथा आयुक्त को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान न कर दिया हो ।"।

धारा 282ख का लोप ।

**30.** आय-कर अधिनियम की धारा 282ख का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 285 का अंतःस्थापन ।

**31.** आय-कर अधिनियम की धारा 284 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

ऐसे अनिवासी द्वारा, जिसका संपर्क कार्यालय है, विवरण प्रस्तुत किया जाना।

1999 का 42

"285. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अनिवासी है, जिसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भारत में स्थापित कोई संपर्क कार्यालय है, किसी वित्तीय वर्ष में अपने क्रियाकलापों की बाबत उस वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, एक विवरण तैयार करेगा और उसे अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।"।

धारा 296 का संशोधन ।

**32.** आय-कर अधिनियम की धारा 296 में, "प्रत्येक अधिसूचना" शब्दों के पश्चात्, "और धारा 139 की उपधारा (1ग) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, 1 जून, 2011 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन ।

**33.** आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क में, नियम 3 के उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "31 दिसंबर, 2010" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2011 से रखे गए समझे जाएंगे ।